DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

22 December, 2023

प्रेस और आवधिक पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023

संदर्भ: लोकसभा ने औपनिवेशिक काल से चले आ रहे पुराने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 को समाप्त करते हुए प्रेस और आवधिक पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी।

प्रेस और आवधिक पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023:

- यह विधेयक भौतिक इंटरफ़ेस की आवश्यकताओं को समाप्त करते हुए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से पत्रिकाओं के शीर्षक आवंटन और पंजीकरण को सरल बनाता है।
- विशेष रूप से छोटे और मध्यम प्रकाशक, जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के समक्ष घोषणा की आवश्यकता के बिना तेज प्रक्रिया से लाभान्वित होते हैं।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **शीर्षक आवंटन और पंजीकरण प्रक्रिया:**
  - ऑनलाइन प्रणाली प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण को सुव्यवस्थित करती है।
  - स्थानीय अधिकारियों के समक्ष घोषणाओं की आवश्यकता समाप्त करने से समग्र प्रक्रिया 60 दिनों तक कम हो जाती है।
  - आतंकवाद या गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को पत्र- पत्रिकाओं के प्रकाशित करने से रोका गया है।
  - भारत में केंद्र सरकार की मंजूरी और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ पंजीकरण के द्वारा विदेशी पत्रिकाओं के प्रतिकृति संस्करण मुद्रित किए जा सकते हैं।
- **प्रिंटिंग प्रेस:**
  - घोषणापत्र की अनिवार्यता को समाप्त करते कर दिया गया है और अब प्रिंटरों को केवल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और स्थानीय अधिकारियों को ऑनलाइन सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **जिला मजिस्ट्रेट/स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका:**
  - पंजीकरण प्रक्रिया में जिला मजिस्ट्रेटों की न्यूनतम भूमिका होती है।
  - प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को उनकी टिप्पणियाँ/एनओसी 60 दिनों के भीतर अपेक्षित हैं। पंजीकरण संबंधी निर्णय उनकी प्रतिक्रिया के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं।
  - प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
- **प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 से अंतर:**
  - मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित पुस्तकों को प्रेस और आवधिक पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक से बाहर रखा गया है।
  - प्रिंटिंग प्रेस को केवल ऑनलाइन सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - प्रकाशक एक साथ शीर्षक आवंटन और पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं, जिसका निर्णय प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किया जाता है।
  - नया क़ानून उल्लंघनों को महत्वपूर्ण रूप से अपराध की श्रेणी से हटा देता है और गंभीर दंडों के स्थान पर वित्तीय जुर्माना लगाता है।
  - जेल की सजा (छह महीने तक) अब चरम मामलों के लिए आरक्षित है, जिसमें पत्र- पत्रिकाओं का पंजीकरण न होना और प्रकाशक द्वारा प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के निर्देशों की अवहेलना शामिल हैं।
  - अब प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकरण प्रमाणपत्रों को निलंबित/रद्द करने का अधिकार दिया गया है। 1867 के अधिनियम में केवल जिला मजिस्ट्रेटों के पास ऐसा अधिकार था।

इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (FAME) II योजना

संदर्भ: उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (एफएएमई) II योजना की समय सीमा के लिए तीन साल के विस्तार की सिफारिश की है।

FAME II योजना:

- **समय सीमा:** 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ 31 मार्च, 2024 तक।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करना और चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है।

सब्सिडी में कटौती और प्रभाव:

- मई में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर FAME-II सब्सिडी पूर्व-फ़ैक्टरी कीमत पर 40% से घटाकर 15% कर दी गई।
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन 15,000 रुपये/किलोवाट से घटाकर 10,000 रुपये/किलोवाट कर दिया गया।
- समिति ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री पर इन कटौतियों के नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया है।

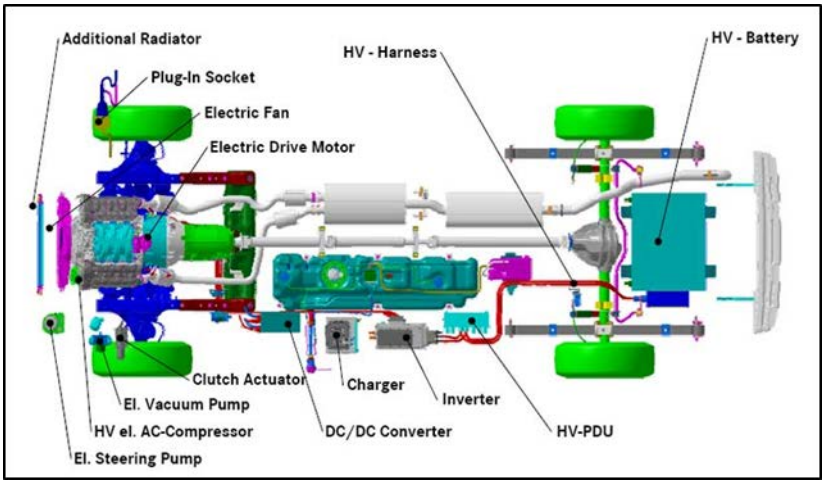

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

योजना विस्तार के लिए सिफ़ारिशें:

- संसदीय समिति ने FAME-II योजना के लिए तीन साल के विस्तार की सिफारिश की है।
- मंत्रालय से समावेशिता के लिए उद्योग हितधारकों के साथ परामर्श करने और विद्युत गतिशीलता की तरफ संक्रमण का समर्थन करने की सिफारिश की गई है।
- गतिशीलता बनाए रखने और 2030 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी पुनर्बहाल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

FAME I और II की प्रगति:

- FAME I को मार्च 2015 में 31 मार्च, 2019 तक विस्तार और 895 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी।
- FAME II प्रौद्योगिकी विकास, मांग निर्माण, पायलट परियोजनाओं और चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है।

चार-पहिया वाहनों का समावेश और इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन:

- FAME II में चार पहिया वाहनों के लिए समर्थन बढ़ाने और निजी इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को शामिल करने की सिफारिश की गई है।
- वाहन की लागत और बैटरी क्षमता के आधार पर सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है।

बुनियादी ढांचे का विकास:

- ईवी के विकास के लिए सभी स्तरों पर सुसंगत सरकारी ढांचे के महत्व पर जोर दिया गया है।
- बैटरी, सेल और ईवी घटकों के लिए समर्पित विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की गई है।

चार्जिंग स्टेशन और BHEL की भूमिका:

- ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए BHEL को अधिक धनराशि आवंटित करने की सिफारिश की है।
- चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों के लिए समर्थन का प्रस्ताव है।

नीति स्थिरता और बाज़ार निश्चितता:

- बार-बार होने वाले नीतिगत बदलावों के ईवी बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।
- सरकार से सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए विद्युत गतिशीलता के लिए एक सुसंगत और स्थिर राष्ट्रीय नीति तैयार करने का आग्रह किया गया है।

शीत अयनांत

संदर्भ: 2023 का शीत अयनांत (Winter Solstice) 22 दिसंबर को है।

परिभाषा :

- शीत अयनांत, जिसे हाइबरनल संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है यह तब होता है जब पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य से दूर अपने अधिकतम झुकाव तक पहुंच जाता है।
- यह प्रत्येक गोलार्ध में एक बार और एक साल में कुल दो बार होता है।

प्रघटना :

- सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लगभग 23.4 डिग्री झुकने के कारण अयनांत होता है।
- यह झुकाव ग्रह के मौसमों को संचालित करता है। इससे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश का असमान वितरण होता है।

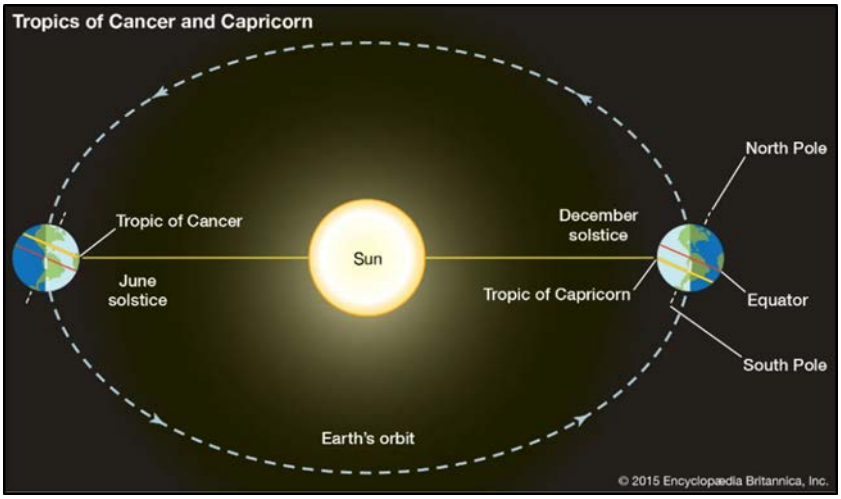

दिन के समय पर प्रभाव :

- सूर्य की ओर झुके हुए गोलार्ध पर दिन सबसे लंबा होता है, जबकि दूर झुके हुए गोलार्ध पर रात सबसे लंबी होती है।
- उत्तरी गोलार्ध के शीत अयनांत (22 दिसंबर के आसपास) के दौरान, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है और ग्रीष्म अयनांत के दौरान इसके विपरीत शीत अयनांत होता है।

झुके हुए अक्ष का प्रभाव:

- उत्तरी गोलार्ध आधा वर्ष सूर्य की ओर झुककर बिताता है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मियों के दिन लंबे होते हैं तथा शेष आधा भाग दूर झुका होता है, जिसके परिणामस्वरूप दिन छोटे होते हैं।
- शीत अयनांत उस दिन को चिह्नित करता है जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की और सबसे अधिक झुका हुआ होता है।

मौसमी परिवर्तन:

- पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पृथ्वी के विभिन्न मौसमीं परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है।
- भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में दिन और रात की लंबाई समान होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक भिन्नता देखी जाती है।

सांस्कृतिक उत्सव:

- प्राचीन मिस्रवासी सर्दियों के मध्य में होरस के जन्म का उत्सव मनाते थे।
- चीन में परिवार एक साथ एक विशेष भोजन करते हैं।
- फ़ारसी क्षेत्र में यल्दा या शब -ए- यल्दा मनाया जाता है, जो अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है।

वैदिक परंपरा:

- वैदिक परंपरा में आकाशीय क्षेत्र पर पृथ्वी की उत्तरी गति को सूर्य सिद्धांत में स्वीकार किया गया है।
- यह उत्तरायण, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति के बीच की अवधि को रेखांकित करता है।
- शीत अयनांत पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से प्रेरित एक खगोलीय घटना है, जो वैश्विक स्तर पर दिन की लंबाई और मौसम को प्रभावित करती है।
- दुनिया भर में सांस्कृतिक उत्सव और परंपराएँ, इस खगोलीय घटना के महत्व को उजागर करती हैं।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट

हाल ही में, मनाली में उद्योगों से तेल रिसाव के बाद भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (डब्ल्यूटीआई) और बेसेंट मेमोरियल एनिमल डिस्पेंसरी (बीएमएडी) के विशेषज्ञ, एन्नोर क्रीक में पक्षियों के लिए फीडिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के बारे में:

- भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (WTI) एक गैर-लाभकारी प्रकृति संरक्षण संगठन है जिसे 1998 में स्थापित किया गया था।
- यह भारत में एक पंजीकृत चैरिटी है (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत स्थापित)।
- इसका मिशन वन्यजीवों और उनके आवास की रक्षा करना और जंगली जानवरों के कल्याण के लिए काम करना है।
- यह लुप्तप्राय प्रजातियों और संकटग्रस्त आवासों के संरक्षण के लिए समुदायों और सरकारों के साथ सहयोग करता है।
- यह वन्यजीव आपात स्थितियों समाधान करता है, वन्यजीव अपराध के खिलाफ कानून प्रवर्तन में सहायता करता है, आवासों को संरक्षित करता है, संरक्षण जागरूकता बढ़ाता है, हरित आजीविका को बढ़ावा देता है और जमीनी स्तर पर संरक्षण में सहायता करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और छह राज्य सरकारों को सलवा जुडूम के पीड़ितों और उनकी दुर्दशा के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में:

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को पेरिस सिद्धांतों के अनुसार की गई थी।
- यह मानवाधिकार उल्लंघनों की समीक्षा करने,उन्हें संबोधित करने तथा उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह "हमारे देश के संविधान और न्यायालयों द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित अधिकारों" के रूप में मानवाधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है।
- आयोग में एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक सदस्य और सात मानद सदस्य होते हैं।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तीन साल की अवधि के लिए या 70 साल की उम्र तक पद पर बने रहते हैं।

आर21/मैट्रिक्सएम वैक्सीन

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित आर21/मैट्रिक्सएम मलेरिया वैक्सीन को अपनी प्रीक्वालिफाइड टीकों की सूची में शामिल कर लिया है।

R21/मैट्रिक्स-एम वैक्सीन के बारे में:

- R21/मैट्रिक्स-एम वैक्सीन एक मलेरिया वैक्सीन है जिसकी अनुशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने जोखिम वाले देशों में बच्चों को मलेरिया से बचाने के लिए की है।
- यह वैक्सीन किसी व्यक्ति को संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने के बाद शरीर में प्रवेश करने वाले मलेरिया परजीवी से शुरुआती चरण में बचाता है।
- यह वैक्सीन मुख्य रूप से प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के विरुद्ध काम करता है और बच्चों में मलेरिया संक्रमण को रोकता है।
- 2021 में अनुशंसित RTS,S/AS01 वैक्सीन के बाद यह WHO द्वारा अनुशंसित दूसरी मलेरिया वैक्सीन है।

नामदाफा उड़ने वाली गिलहरी

42 वर्षों के बाद नामदाफा उड़न गिलहरी को अरुणाचल प्रदेश में फिर से देखा गया है

नामदाफा उड़न गिलहरी के बारे में:

- नामदाफा उड़न गिलहरी (Biswamoyopterus Biswasi) एक निशाचर और वृक्षीय उड़न गिलहरी है जो अरुणाचल प्रदेश के लिए स्थानिक है।
- 1981 में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में एकत्र किए गए एकल नमूने से इस प्रजाति के बारे में पता चला था।
- इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में नोआ दिहिंग नदी (ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी) की सीमा पर मेसुआ फेरा जंगलों के नाम पर रखा गया था, जहां इसे खोजा गया था।
- इसमें लाल, भूरा फर और ऊपर सफेद रंग, हल्के भूरे रंग का मुकुट, नारंगी रंग का पेटागियम और नीचे का हिस्सा सफेद है।
- इसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

चर्चित स्थल

चेक रिपब्लिक

हाल ही में, प्राग,चेक गणराज्य के एक विश्वविद्यालय में एक बंदूकधारी द्वारा 14 लोगों की हत्या के बाद एक दिन का शोक घोषित किया गया था।

चेक गणराज्य (राजधानी: प्राग)

अवस्थिति : चेक गणराज्य मध्य यूरोप में स्थित एक भू-आबद्ध देश है।

राजनीतिक सीमाएँ: चेक गणराज्य की सीमा पोलैंड (उत्तर), और स्लोवाकिया (पूर्व), ऑस्ट्रिया (दक्षिण) और जर्मनी (पश्चिम) से लगती है।

भौतिक विशेषताऐं:

- क्रकोनोज़ (Krkonose), जिसे विशाल पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, चेक गणराज्य और पोलैंड के मध्य एक पर्वत श्रृंखला है।
- सबसे ऊंची चोटी, स्नेज़का (Snezka), क्रकोनोज़ पर्वत (Krkonose Mountains) का हिस्सा है।
- चेक गणराज्य में कई कृत्रिम झीलें हैं, जिनमें माचा झील, मेडार्ड और मिलाडा झील (Lake Macha, Medard and Lake Milada.) शामिल हैं।
- इसकी जलवायु सामान्यतः समशीतोष्ण महाद्वीपीय (temperate continental) और समुद्री(oceanic) है।

POINTS TO PONDER

- राजस्थान विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? **-वासुदेव देवनानी**
- बेंगलुरु के किस हवाई अड्डे ने यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स (Prix Versailles) में पुरस्कार जीता? **-केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा**
- संसद ने हाल ही में किस विधेयक को पारित किया है जो ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से शीर्षकों के आवंटन और आवधिक पत्रों के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए पारित किया है, जिससे भौतिक संपर्क की आवश्यकता समाप्त हो गई है? **- प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल**
- संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं के अलावा किन दो भाषाओं को साहित्य अकादमी ने वार्षिक पुरस्कारों के लिए मान्यता दी थी? **- अंग्रेजी और राजस्थानी**
- हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? **-चिराग शेट्टी और सात्विक साई राज रंकीरेड्डी**